बिहार सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक : 02/शमन–07/2015 परि.2938/ पटना, दिनांक 22/06/2015

जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्रांक–336 दिनांक 30.04.2015 द्वारा जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रोहतास, सासाराम जिलान्तर्गत निम्नलिखित पुलिस पदाधिकारियों को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 6 (छः) माह के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177, 179, 180, 181, 182,, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 एवं 194 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी ।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम/पद नाम	कार्य क्षेत्र
1.	अशोक कुमार दास, पुलिस उपाधीक्षक	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विक्रमगंज
2.	अलख निरंजन चौधरी, पुलिस उपाधीक्षक	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सासाराम
3.	अशोक कुमार प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डिहरी
4.	रंजीत कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक	पुलिस निरीक्षक–सह–थानाध्यक्ष, रोहतास
5.	पवन कुमार, पुलिस निरीक्षक	पुलिस निरीक्षक–सह–थानाध्यक्ष, सासाराम नगर थाना
6.	अनिल कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक	पुलिस निरीक्षक–सह–थानाध्यक्ष, विक्रमगंज थाना
7.	युगल किशोर राम, पुलिस निरीक्षक	अमझौर अंचल
8.	कृष्णा प्रसाद, पुलिस निरीक्षक	सासाराम मुफस्सिल अंचल
9.	भवेश कुमार मंडल, पुलिस निरीक्षक	नासरीगंज अंचल
10.	धीरेन्द्र प्रसाद साह, पुलिस निरीक्षक	विक्रमगंज अंचल
11.	मिथलेश कुमार जायसवाल, पुलिस निरीक्षक	शिवसागर अंचल

2. पुलिस अधीक्षक, रोहतास, सासाराम अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारी द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रतिमाह परिवहन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । साथ ही उपर्युक्त पदाधिकारीयों के कार्यकलाप की समीक्षा भी की जाएगी । मामलों के समीक्षोपरांत ही अगले छः माह के बाद अवधि विस्तार पर विचार किया जाएगा ।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से ।

22/6/2015

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 02/शमन–07/2015 परि 2938/ पटना, दिनांक 22/06/2015

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई. गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी साधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

22/6/2015

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 02/शमन–07/2015 परि 2938/ पटना, दिनांक 22/06/2015

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम/पुलिस अधीक्षक, रोहतास, सासाराम/शक्ति प्रदत् सभी संबंधित पदाधिकारी/विभागीय मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/6/2015

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

Santosh-2015-193